64

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : के0सी0 जैन
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2100–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–06–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल प्रकरण क्रमांक 202/अपील/2013–14.

आशिम (हाशिम) अली आ0 श्री इक्तेदार अली
निवासी पुरानी सब्जी मण्डी आष्टा सीहोर म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

1. म0प्र0 शासन
2. प्रेमनारायण सोनी
3. नवीन सोनी
4. कविश माथुर
5. चन्देश माथुर
6. कैलाशचंद्र टेलर आ0 स0 श्री कन्हैयालाल
   समस्त निवासी बड़ा बाजार, आष्टा
   जिला सीहोर, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री टी0आर0 यादव, अभिभाषक, आवेदक
श्री नीरज श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 21 जुलाई 2016 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के आदेश दिनांक 22–6–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक प्रेमनरायण आदि ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार आष्टा के समक्ष इस बावत प्रस्तुत किय कि हाशिम अली ने सब्जी मण्डी के पास कायस्थ मंदिर के पीछे कैलाशचन्द्र जी के

सामने लगभग 15X30 की शासकीय भूमि पर अतिकमण कर पक्का निर्माण रोक दिया है, अतः कार्यवाही की जाये। तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही करते हुये आदेश दिनांक 23–5–13 के द्वारा आवेदक को संहिता की धारा 248(1) के तहत 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुये उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी आष्टा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 30–12–13 के द्वारा अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 22–6–15 के द्वारा अपील अस्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक के पूर्वज ने वादग्रस्त भूमि तत्काली राज्य शासन के जागीरदार हिफजुबार साहब जागीरदार नवरंगपुर से खरीदकर कब्जा लिया था तभी से अर्थात पूर्वजों के समय से आवेदक का कब्जा है जिसकी पुष्टि धारा 90 साक्ष्य अधिनियम से होती है परन्तु उसे नजरअदांज कर दिया गया। वादग्रस्त भूमि पर नगर निगम अधिनियम के कानून लागू होते हैं नजूल व तहसील की धारा 248 न तो वादग्रस्त भूमि पर प्रभावशील है और न ही प्रभावित होती है। तहसीलदार द्वारा कोई गवाही नहीं ली गई और नही सार्वजनिक गली को लेकर राजस्व का कोई खसरा प्रमाणित किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा अभिलेख पर जो रजिस्टर्ड विकय पत्र पेश किया है उसको भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया। आर0आई0 के प्रतिवेदन में आवेदक का पक्का चबूतरा व टीन शेड के स्थान पर स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर निर्माण किया है, को भी तहसील न्यायालय ने विचार में न लेकर गंभीर भूल की है। राजस्व अभिलेख अक्स, नक्शा, दस्तावेज, रिकार्ड आदि न तो तहसील न्यायाल में प्रमाणित किया न ही कोई साक्ष्य लिपिबद्ध की गई, बल्कि राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के विपरीत की गई कार्यवाही शून्य प्रभावी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दोनों अपीलीय

न्यायालयों द्वारा भी इन महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी कर आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें।

4– अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर पक्का निर्माण करने से उसके विरूद्ध कार्यवाही हेतु तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा विधिवत कार्यवाही कर आवेदक के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5– उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिकायती आवेदन पर तहसीलदार आष्टा द्वारा मौके का हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन मंगाया, जिसमें आवेदक द्वारा 15X30 वर्गफीट पर नवीन निर्माण टोटले पर छत डालकर किया जाना अंकित किया। तहसीलदार ने विधिवत जांच उपरांत आवेदक के शासकीय भूमि पर अवैध पक्का निर्माण कर कब्जा किया जाना पाते हुये संहिता की धारा 248(1) के तहत 1500/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया, जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं है। इस न्यायालय में उठाई गई अन्य आपत्ति/तर्कों का निराकरण निम्न न्यायालयों द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार के विधिसम्मत आदेश की पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने अपने आदेशों से की है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में निगरानी की जाती है। अपर आयुक्त भोपाल का आदेश दिनांक 22–6–2015 स्थिर रखा जाता है।

(के0सी0 जैन)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,